

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

1.	परियोजना /स्कीम का स्थान	"भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद ।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	गरियाबंद एवं धमतरी जिला
(iii)	वन प्रभाग	उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद के अधीनस्थ कुल आवेदित वनभूमि - 8.965 हे.
(v)	वन कानूनी स्थिति	संरक्षित वनभूमि - 4.772 हे. आरक्षित वनभूमि - 4.193 हे.
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 - 0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.,एफ. एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यकता नहीं है।
(viii)	भू-क्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण के लिए वन भूमि की संवेदनशीलता सामान्य हैं। भू-क्षरण की स्थिति निर्मित नहीं होगी अतः उक्त भूमि परियोजना हेतु दिया जा सकता है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित योजना में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल वनक्षेत्र की सीमा से होकर गुजरती है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्रा का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	प्रस्तावित क्षेत्र उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद का भाग है।

(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं हैं।
2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की माँग अपरिहार्य और न्यूनतम हैं।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें हैं।	अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यकता नहीं है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	आवश्यकता नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि	आवश्यकता नहीं है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	आवश्यकता नहीं है।

	(v)प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्रों की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यकता नहीं है।
5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	आवश्यकता नहीं है।
6.	विभाग/जिला प्रोफाईल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	गरियाबंद जिला का भौगोलिक क्षेत्र – 5822.86 वर्ग किलो मीटर धमतरी जिला का भौगोलिक क्षेत्र – 408193.00 वर्ग किलो मीटर
	(ii) जिले का वन क्षेत्र	गरियाबंद जिला का वन क्षेत्र – 3794.40 वर्ग किलो मीटर धमतरी जिला का वन क्षेत्र– 212554.00 वर्ग किलो मीटर
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	3 प्रकरण 4.290 हेक्टेयर
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक: (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	0.00 हेक्टेयर 0.00 हेक्टेयर
	(v) वर्ष 2019–2020 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	0.00 हेक्टेयर 0.00 हेक्टेयर

7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस-2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा गरियाबंद एवं धमतरी जिला में स्थित उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, गरियाबंद क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने पर समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे। ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 8.965 हे. के व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा की जाती है।
----	---	--

दिनांक - 29 Oct 2021

स्थान - गरियाबंद, (छत्तीसगढ़).

उपनिदेशक,
उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व,
गरियाबंद (छत्तीसगढ़).

कार्यालय उपनिदेशक उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)



Email ID:-ddustr@gmail.com,

deputydirectorustr@gmail.com

Ph.No. 07706-241229

क्रमांक/मा.चि./21-22/4082

गरियाबंद, दिनांक 29/10/2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं क्षेत्र संचालक
उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर

विषय:-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Cousevration Act, 1980 Proposed for BharatNet Phase-II Udanti Sitanadi Tiger Reserve Gariaband (BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 51987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State.) area - 9.589 ha. - regarding.

संदर्भ :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) का पत्र क./भू-प्रबंध/विविध/एल. एम-115-869A/297 रायपुर दिनांक 03.02.2021।

विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 51987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State.) area - 9.589 ha के तहत वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में area - 9.589 ha का पंजीयन क्रमांक आबंटित हुआ है। स्थल मौका जांच अनुसार संशोधित क्षेत्रफल area - 8.965 ha का प्रस्ताव संलग्न आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न:- प्रस्ताव 05 प्रतियों में मय डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट।

उपनिदेशक
उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व
गरियाबंद

गरियाबंद, दिनांक 29/10/2021

पृ.क्रमांक/मा.चि./21-22/4083

प्रतिलिपि :-

01. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) का पत्र क./भू-प्रबंध/विविध/एल. एम-115-869A/297 रायपुर दिनांक 03.02.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
03. कलेक्टर, जिला गरियाबंद/धमतरी की ओर सूचनार्थ।
- 04- JCEO, Chhattisgarh infotech promotion society CHiPS, 2nd Floor, SDC Building, Civil Line Raipur Chhattisgarh.

वर्तमान में किसी भी वनक्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

उपनिदेशक
उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व
गरियाबंद